

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052020-219562
CG-DL-E-26052020-219562

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942
No. 238]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISHTHA 5, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

सा.का.नि. 313(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-VII का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

अनुसूची-VII के, मद (viii) में, “प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष” शब्दों के पश्चात्, “आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना तारीख 28 मार्च, 2020 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.सं.13/18/2019-सीएसआर]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : अनुसूची-VII तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 130(अ) तारीख 27 फरवरी, 2014, शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 261(अ) तारीख 31 मार्च, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568(अ) तारीख 06 अगस्त, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) तारीख 30 मई, 2019, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2019 और शुद्धिपत्र संख्या सा.का.नि. 859(अ) तारीख 19 नवंबर, 2019 के द्वारा संशोधित (01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी) की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment to Schedule VII of the said Act, namely:—

In Schedule VII, item (viii), after the words “Prime Minister’s National Relief Fund”, the words “or Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund)” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 28th March, 2020.

[F. No. 13/18/2019-CSR]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Schedule VII was brought into force with effect from the 1st April, 2014 and was amended (effective from the 1st April, 2014) *vide* notification number G.S.R. 130(E), dated the 27th February, 2014, Corrigenda number G.S.R. 261(E), dated the 31st March, 2014, notification number G.S.R. 568(E), dated the 6th August, 2014, notification number G.S.R. 741(E), dated the 24th October, 2014, notification number G.S.R. 390(E), dated the 30th May, 2019, notification number G.S.R. 776(E), dated the 11th October, 2019 and Corrigenda number G.S.R. 859(E), dated the 19th November, 2019.